इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 566] भोपाल, सोमवार, दिनांक 8 दिसम्बर 2014—अग्रहायण 17, शक 1936

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2014

क्र. एफ. बी-4-28-2014-2-पांच(29).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 75 सह पठित धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना आवश्यक है, एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची-1क के उपबंधों के अनुसार उन दस्तावेजों पर जिन्हें कि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 17 के अधीन अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकृत किया जाना है, आगामी आदेश तक स्टाम्प शुल्क का संग्रहण अनूपपुर, बालाघाट, सीहोर, टीकमगढ़ तथा उज्जैन के जिलों के लिये केवल जिला मुख्यालयों पर अवस्थित उप पंजीयक के कार्यालय में ''ई-स्टांपिंग'' के माध्यम से विभाग की इलैक्ट्रानिक स्टांपिंग प्रणाली ''सम्पदा'' द्वारा 15 दिसम्बर, 2014 से किया जाएगा. उन दस्तावेजों के लिए, जिनका रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 18 के अधीन रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य नहीं है. ''ई-स्टांपिंग'' ऐच्छिक होगी. किसी अत्यावश्यकता या किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों की दशा में अधीक्षक, स्टाम्प को अधिनियम की धारा 10 के अनुसार अन्यथा कार्यवाही करने के लिये एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2014

क्र. एफ. बी-4-28-2014-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. बी-4-28-2014-2-पांच (29), दिनांक 8 दिसम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 8th December 2014

No. F. B-4-28-2014-2-V(29).—In exercise of the powers conferred by Section 75 read with section 10 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899), the State Government, being satisfied that it is necessary in public interest to do so, hereby, directs that stamp duty collection as per provisions of the Schedule I-A of the said Act for documents which are compulsorily registerable under Section 17 of the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908) till further order shall be done by means of "e-stamping" through the Department's Electronic Stamping System "SAMPADA", in the office of the Sub-Registrar located at the district headquarters only of districts Anuppur, Balaghat, Sehore, Tikamgarh and Ujjain with effect from 15th December, 2014. For documents that are not compulsorily registerable under Section 18 of the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908), "e-stamping" shall be optional. In case of any urgency or unavoidable circumstances, the Superintendent of Stamps is hereby authorized to proceed otherwise as per of Section 10 of the Act.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2014

क्र. एफ. बी-4-28-2014-2-पांच(30).—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 69 की उपधारा (2) सहपठित धारा 16-क की उपधारा (1), धारा 34 की उपधारा (3) एवं धारा 35 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा किया जाना लोकहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि उन दस्तावेजों का, जिनका रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 17 के अधीन रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है, रजिस्ट्रीकरण विभागीय इलैक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रीकरण पद्धति "सम्पदा" द्वारा केवल अनूपपुर, बालाघाट, सीहोर, टीकमगढ़ एवं उज्जैन जिलों के जिला मुख्यालयों पर स्थित उप पंजीयक कार्यालय में दिनांक 15 दिसम्बर 2014 से "ई-रजिस्ट्रीकरण" द्वारा किया जाएगा. उन दस्तावेजों के लिए, जिनका रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 18 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य नहीं है. "ई-रजिस्ट्रीकरण" ऐच्छिक रहेगा. किसी भी अत्यावश्यकता अथवा किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों में महानिरीक्षक, पंजीयन को रजिस्ट्रीकरण नियम,1939 के अनुसार अन्यथा कार्यवाही करने हेतु एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2014

क्र. एफ. बी-4-28-2014-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. बी-4-28-2014-2-पांच(30), दिनांक 8 दिसम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 8th December 2014

No. F. B-4-28-2014-2-V(30).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 69 read with sub-section (1) of Section 16-A, sub-section (3) of Section 34 and sub-section (2) of section 35 of the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908) the State Government, being satisfied that it is necessary in public interest to do so, hereby, directs that registration of documents which are compulsorily registerable under Section 17 of the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908) shall be done by means of "e-registration" through the Department's Electronic Registration System "SAMPADA", in the office of the Sub-Registrar located at the district headquarters only of districts Anuppur, Balaghat, Sehore, Tikamgarh and Ujjain with effect from 15th December, 2014. For documents which are not compulsorily registerable under Section 18 of the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908), "e-registration" shall be optional. In case of any urgency or unavoidable circumstances, the Inspector General of Registration is hereby authorized to proceed otherwise as per Registration Rules, 1939.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.